न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 72/16 तारीख रजू 5.11.16

उनवान – सूरजमल बनाम राजू मीणा ओल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्रीराम नरेश सी गुप्ता Adv० ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर दिनांक 8.11.16 को पेश हो। | 354 3545 / 5.11.16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8.11.16

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री विजय भारती Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2, 3, बावजूद तामील उप. नहीं उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते जवाब व बहस दिनांक 10.11.16 को पेश हो।

10.11.16

प्रार्थी / अप्रार्थी वकील उप०/ जवाब पेश किया/ बहस सुनी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। आइन्दा दिनांक 21.11.16 को पेश हो।

21.11.16 वकलाव उपस्थित/पीठासीन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली मतानुसार दिनांक 28.11.16 को पेश हो।

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –72/2016

तारीख रजू – 04.11.2016

उनवान

1. सूरजमल पुत्र परसादी
2. रामखिलाडी श्योजी समस्त जाति जाटव निवासी जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. बत्तू उम्र 80 वर्ष पुत्र श्योजी जाति जाटव निवासी जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम
3. सबरजिस्ट्रार उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – प्रार्थीगण

श्री विजय भारती एडवोकेट – अप्रार्थी नं0 1

निर्णय **दिनांक :– 21.12.2016**

संक्षेप्त मे प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 103 मे वर्णित भूमि खसरा नं0 158 रकवा 0.35 हेक्टयर, 159 रकवा 0.35 हेक्टयर, 160 रकवा 0.01 हेक्टयर, 161 रकवा 0.42 हेक्टयर, 703 रकवा 0.54 हेक्टयर कुल किता 05 कुल रकवा 1.67 हेक्टयर स्थित ग्राम जौल तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक मे इस भूमि मे प्रार्थी नं0 1 हिस्सा 1/3, प्रार्थी नं0 2 हिस्सा 1/3, अप्रार्थी नं0 1 हिस्सा 1/3 की खातेदारी दर्ज है तथा इसी प्रकार खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ने आपसी सहमति से भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र को आज से करीब पच्चीसो साल पूर्व बटवारा कर रखा है तथा आम रास्ता ग्राम विशनपुरा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

से जौल को जा रहा है उसके सहारे भूमि खसरा नं0 158 तथा उसके बाद खसरा नं0 159, 161 है इन सभी खसरा नम्बरान मे हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 कब्जा है तथा हिस्से मे आया है यानि पूर्व से पश्चिम की तरफ है। खसरा नं0 160 शामलाती कोठी है जिसमे डीजल इंजन सिचाई हेतु लगा हुआ है तथा इसी प्रकार खसरा नं0 703 का भी बराबर हिस्सा रास्ता के सहारे है लेकिन अप्रार्थी नं0 1 चालाक किस्म का आदमी है और वह भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र मे रास्ता की तरफ खसरा नं0 158 को स्वंय का कब्जे मे बताकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा दीगर व्यक्ति को विक्रय करना चाहता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर दिनांक 03.11.2016 को फसल की बुबाई कर रहे थे कि अप्रार्थी नं0 1 आया और धमकी दी कि तुम खसरा नं0 158 मे से अपना कब्जा हटालो मैंने विक्रय करने की बात कर ली तहसील मे चलकर रजिस्ट्री कराउगा अप्रार्थी की धमकी पर प्रार्थीगण ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने और भूमि से बेदखल करने व विक्रय करने की धमकी दी इसलिये यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किया जाये कि वे खाता सं0 103 मे वर्णित भूमि खसरा नं0 158 रकवा 0.35 हेक्टयर, 159 रकवा 0.35 हेक्टयर, 160 रकवा 0.01 हेक्टयर, 161 रकवा 0.42 हेक्टयर, 703 रकवा 0.54 हेक्टयर कुल किता 05 कुल रकवा 1.67 हेक्टयर स्थित ग्राम जौल तहसील टोडाभीम के संबंध मे विक्रय आदि नही करे तथा नाही प्रार्थीगण को बेदखल करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे रुकावट पैदा नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी नं0 2 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं0 3 उक्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज विक्रय आदि को रजिस्टर्ड व पंजीबद्व नही करें।

दस्तावेज मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक पेश किया

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विपक्षीगण को जारी किये गये। विपक्षी सं0 1 की तरफ से उनके वकील उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र पेश किया तथा अप्रार्थीगण नं0 2, 3 बाबजूद तामील उपस्थित नही हुये एकतरफा कार्यवाही की गयी।

अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थनापत्र मे तथ्य गलत अंकित किये है अप्रार्थी ने अपने हिस्से मे आई आराजी मे लाखो रूपये लगाकर दुरस्त की है उसको जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर छीनना चाहते है। झूठे मुकदमा कर गरीब वृद्व को परेशान करते है कोई घटना नही हुई है। अप्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पिछले दो साल से पडत पडी हुई है काश्त नही करने देते है प्राईमाफेशी केश साबित नही है नाहि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष मे है नाहि कोई क्षति है। अतिरिक्त जबाब मे कथन किया है कि अप्रार्थी के पुत्र का एक्सीडेन्ट हो गया थ जिसमे करीब दो

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

लाख रूपये खर्च हुये है तथा आयु 75 वर्ष है इसलिये भूमि के कुछ हिस्से को विक्रय करना चाहता है जिससे उनका कुछ पैसा चुक जायेगा तथा अप्रार्थी ने प्रार्थीगण से कहा कि आप मेरी भूमि को खरीद लो लेकिन वे आधी रकम मे खरीदना चाहते है तथा चालाक किस्म के आदमी है तथा घर से भगाना चाहते है तथा घर से बेघर करना चाहाते है तथा प्रार्थनापत्र खारिज किया जायें।

दौराने बहस प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी के वकील ने जबाब प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जायें।

मैंनें उभयपक्षो के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित खाता सं0 103 मे वर्णित भूमि खसरा नं0 158 रकवा 0.35 हेक्टयर, 159 रकवा 0.35 हेक्टयर, 160 रकवा 0.01 हेक्टयर, 161 रकवा 0.42 हेक्टयर, 703 रकवा 0.54 हेक्टयर कुल किता 05 कुल रकवा 1.67 हेक्टयर स्थित ग्राम जौल तहसील टोडाभीम मे खातेदारी हिस्सा 2/3 की प्रार्थीगण के नाम है तथा हिस्सा 1/3 की खातेदारी अप्रार्थी नं0 1 के नाम है। जमाबंदी के साथ पेश किया गया हाल ट्रेस मे उक्त पाचो खसरा नम्बरान के आगे रास्ता है तथा आपस मे बटवारा व काश्त के संबंध मे विवाद है जिसका निस्तारण मूल वाद बाबत् बटवारा मे ही हो सकेगा। मूलवाद के बटवारे तक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 को पांबद किया जाता है कि वे खाता सं0 103 मे वर्णित भूमि खसरा नं0 158 रकवा 0.35 हेक्टयर, 159 रकवा 0.35 हेक्टयर, 160 रकवा 0.01 हेक्टयर, 161 रकवा 0.42 हेक्टयर, 703 रकवा 0.54 हेक्टयर कुल किता 05 कुल रकवा 1.67 हेक्टयर स्थित ग्राम जौल तहसील टोडाभीम के संबंध मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा विपक्षी सं0 2 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विपक्षी सं0 3 उक्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज रहन विक्रय आदि के संबंध मे रजिस्टर्ड व पंजीबद्व नही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner